राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 250/2013/बीकानेर

मैसर्स मानाराम गणपतराम एण्ड कंपनी,
बीकानेर। ....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, बीकानेर। ....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 12/02/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे **"अपीलार्थी"** कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 321/आरवैट/बीकानेर/2011-12 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 12.11.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, बीकानेर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 06.10.2010 में प्रश्नगत वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट कार्यों पर 3% से मुक्ति शुल्क देय होने के बिन्दु की अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित करते हुए यह अपील धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी एक ठेकेदार है एवं उसने आलोच्य अवधि में कार्यपालक अभियन्ता, सीमा हदबन्दी मण्डल-6, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जैसलमेर द्वारा आवंटित कार्य "Augmentation of Single row Fencing along Indo-Pak Border in shifting sand dunes area in Jaisalmer Sector Rajasthan- Erection of Single row Fencing between BP 749/5S and BP 758/2S(2.395 Kms)" के संबंध में W.T-1 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर E.C @ 1.5% से चाही गयी किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कार्य की प्रकृति को देखते हुये E.C @ 1.5% के स्थान पर 3 प्रतिशत की श्रेणी में आने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी की ओर से राजस्थान कर

निरन्तर..........2

बोर्ड के निर्णय वा.क.अ. वर्क्स टैक्स जयपुर बनाम मै. पेनार इण्डस्ट्रीज लि. का हवाला देते हुये उक्त कार्य को **'Works contracts relating to Roads'** का कार्य मानने एवं उस पर 1.5 प्रतिशत ई.सी.फीस लगाने का तर्क दिया गया। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त उद्धरित प्रकरण के तथ्यों को हस्तगत प्रकरण से भिन्न मानते हुये ई.सी. फीस 1.5 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत निर्धारित करते हुये कुल आवंटित संविदा कार्य रूपये 1,19,55,540/– पर 3 प्रतिशत की दर से रू. 3,58,666/– का मुक्ति शुल्क निर्धारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उन्हें आवंटित कार्य अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार **"Works contracts relating to Roads"** की श्रेणी में आता है अतः इस पर मुक्ति शुल्क **1.5%** ही देय है। अपीलीय अधिकारी ने मुक्ति शुल्क **3%** मानने बाबत कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि की है, अतः अपीलीय आदेश अपास्त किया जावे।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उन्होंने तर्क दिया कि ई.सी. शुल्क राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 में अंकित सारणी में उल्लिखित प्रविष्टियों के अनुसार तय होता है एवं तदनुरूप क्रम संख्या 2 के सम्मुख उल्लेखित प्रविष्टि **Work Contracts relating to building, roads, bridges, dams, canals, severage system** अंकित है, पर ही 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क देय होता है परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी का कार्यादेश उक्त प्रविष्टियों से आच्छादित नहीं है अतः 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क चुकाने का दायित्व माना है जो कि सही है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश की पुष्टि विधिक रूप से सही की है अतः अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

5. उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

6. सर्वप्रथम अपीलार्थी व्यवहारी को प्रदत्त संविदा कार्य का अवलोकन उचित होगा जो कार्यपालक अभियंता सीमा हदबंदी मण्डल–6, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जैसलमेर से जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि **CPWD,** जैसलमेर के कार्य संविदा आदेश दिनांक 27.08.2010 द्वारा अपीलार्थी को **"Augmentation of Single**

निरन्तर.....................

row Fencing along Indo-Pak Border in shifting sand dunes area in Jaisalmer Sector Rajasthan- Erection of Single row Fencing between BP 749/5S and BP 758/2S (2.395 Kms)" सम्बन्धी कार्य आवंटित हुआ था, जिस पर अपीलार्थी ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसरण में मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रपत्र WT-1 में आवेदन पेश किया जिसमें मुक्ति शुल्क की दर स्वमेव 1.5% घोषित की गई थी। उक्त संविदा कार्य की प्रकृति को देखते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने इस पर मुक्ति शुल्क 3% की देयता होने के आशय का नोटिस अपीलार्थी को जारी किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को अस्वीकार करते हुए मुक्ति शुल्क @ 3% निर्धारित किया है।

7. कार्य संविदा पर मुक्ति शुल्क के क्रम में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12 (63) एफडी / टैक्स / 2005–80 दिनांक 11.08.2006 (समय–समय पर यथासंशोधित) की तत्समय स्थिति (as on 27.08.2010) निम्न प्रकार से है :–

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1.	2.	3.
1.	Works contract where the cost of material does not exceed five percent of the total contract amount.	0.25%
2.	Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerage system.	1.50%
3.	Works contracts relating to installation of plants and machinery including PSPO, water treatment plant, laying of pipe line with material	2.25%
4.	Any other kind of works contract not covered by item Nos. 1, 2 and 3	3.00%

8. चूंकि अपीलार्थी द्वारा किया गया संविदा कार्य भारत–पाकिस्तान सीमा पर रेतीले टीबों के क्षेत्र में तारबन्दी किये जाने से सम्बन्धित है, जो उपरोक्त सारणी के बिन्दु संख्या 1, 2 या 3 में कहीं भी उल्लिखित नहीं है तथा न ही प्रश्नगत कार्य को इन बिन्दुओं में वर्णित कार्यों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ancillary or incidental work ही माना जा सकता है, अतः यह कार्य बिन्दु सख्या 4 के अन्तर्गत ही माना जायेगा। अतः इस सम्बन्ध में अपीलार्थी का यह पक्ष स्वीकार योग्य नहीं है कि प्रश्नगत कार्य 'Works contracts relating to Roads' माना जाये।

9. उपर्युक्त विवेचनानुसार यह निर्णीत किया जाता है कि 'भारत–पाक सीमा पर किये जाने वाले तारबन्दी' सम्बन्धी उक्त कार्य पर कर मुक्ति शुल्क की दर अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 की सारिणी के बिन्दु संख्या 4 से आच्छादित है तथा जिस

निरन्तर......................

पर मुक्ति शुल्क दर **3%** है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस संविदा कार्य पर जो मुक्ति शुल्क **3%** निर्धारित किया है, वह पूर्णतः विधि सम्मत है, अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि किये जाने में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है।

10. परिणामतः अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

~~निस्त्तर~~....................